प्रेस नोट
दिनांक 05.08.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गौ तस्करी के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 258/2026 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों– धर्म प्रकाश यादव पुत्र राम अकबाल यादव 2. राज नरायन पुत्र मुन्ना लाल निवासीगण पूरे राम प्रसाद मौजा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज गोण्डा को पूरे राम प्रसाद पूरे बालू जाने वाले मार्ग पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.07.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गोवंशीय तस्कर एक बलेनो कार को आगे–आगे चलाकर डीसीएम वाहन में गोवंशीय पशुओं को बर्बरता पूर्वक रस्सियों से बांधकर अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा तत्काल गड़ेरियन पुरवा–कोल्हमपुर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास सघन वाहन चेकिंग प्रारम्भ की गई। इसी दौरान एक संदिग्ध बलेनो कार पुलिस को देखकर तेज गति से भागने लगी। पुलिस टीम ने तत्परता पूर्वक घेराबंदी कर कार चालक अय्याज पुत्र मोईद निवासी जगनपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पीछे से आ रहे डीसीएम वाहन की जानकारी मिली। इसी बीच डीसीएम वाहन चालक व कुछ अन्य साथी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 10 गोवंशीय पशु रस्सियों से बर्बरता पूर्वक बंधे हुए मिले। पुलिस ने तत्काल सभी पशुओं को मुक्त कर सुरक्षित कब्जे में लिया तथा बलेनो कार व डीसीएम वाहन को भी कब्जे में ले लिया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था तथा प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित प्रभारी नवाबगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। जिसमें गठित पुलिस टीमों द्वारा पूर्व में गौ तस्कर मोफीद व अय्याज सहित 04 लोगो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें आज दिनांक 05.08.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्तों धर्म प्रकाश यादव पुत्र राम अकबाल यादव 2. राज नरायन पुत्र मुन्ना लाल निवासीगण पूरे राम प्रसाद मौजा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज गोण्डा को पूरे राम प्रसाद पूरे बालू जाने वाले मार्ग पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. धर्म प्रकाश यादव पुत्र राम अकबाल यादव निवासी पूरे राम प्रसाद मौजा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज गोण्डा।
2. राज नरायन पुत्र मुन्ना लाल निवासी पूरे राम प्रसाद मौजा तुलसीपुर मांझा थाना नवाबगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

1.मु0अ0सं0–258/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तारकर्ता टीम–</u>

1. उ0नि0 श्री गौरव सिंह
2. उ0नि0 श्री विभव सिंह
3. कां0 राम अवतार यादव
4. कां0 अभिषेक यादव–1
5. कां0 अखिलेश यादव
6. कां0 कमलेश यादव
7. रि0म0का0 ज्योति मिश्रा

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 05.08.2026</u>

<u>थाना छपिया पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड करते हुए 02 अभियुक्तो–1. अवधेश कुमार दूबे उर्फ सोनू पुत्र लालबच्चा दूबे, 02. अमित कुमार प्रजापति पुत्र निब्बूलाल उर्फ नन्दलाल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 03 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>
दिनांक 04.08.2026 को थाना छपिया क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की तीन अलग–अलग घटनाए हुई थी। प्रथम घटना में राधेश्याम पुत्र रामनाथ की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, द्वितीय घटना में सोनू गुप्ता पुत्र परमानंद गुप्ता की एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल तथा तृतीय घटना में चिन्तामणि मिश्र पुत्र ओंकार नाथ मिश्र की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर ली गई। तीनों मामलों में थाना छपिया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अज्ञात चोरों तथा चोरी गई मोटरसाइकिलों की तलाश की जा रही थी इसी दौरान अमवा जंगल के पास से अभियुक्त अवधेश कुमार दुबे उर्फ सोनू दुबे को चोरी की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त की निशानदेही पर झाड़ियों में छिपाई गई एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। अभियुक्त से की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम द्वारा उसके साथी अमित कुमार प्रजापति को उसके घर ग्राम फिरोजपुर से गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर भुशैला में छिपाकर रखी गई स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>
गिरफ्तार अभियुक्त अवधेश कुमार दुबे उर्फ सोनू दुबे एवं अमित कुमार प्रजापति ने पूछताछ में बताया कि वे दोनों मिलकर थाना छपिया क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उन्होंने दिनांक 03.08.2026 एवं 04.08.2026 को मसकनवा हरिजन कॉलोनी, सिंगार घाट तथा छपिया बाजार से तीन मोटरसाइकिलें चोरी की थीं। चोरी की गई मोटरसाइकिलों को सुनसान स्थानों पर झाड़ियों एवं भुशैले में छिपाकर रखते थे तथा अवसर मिलने पर उन्हें बेचने की फिराक में थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की तीनों मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>
1. अवधेश कुमार दूबे उर्फ सोनू पुत्र लालबच्चा दूबे निवासी दुबौली थाना मनकापुर, जनपद गोण्डा।

2. अमित कुमार प्रजापति पुत्र निब्बूलाल उर्फ नन्दलाल निवासी फिरोजपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0 318/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 319/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 320/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 03 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 सुरेश यादव
02. उ0नि0 श्री राकेश पटेल
03. मुख्य आरक्षी अमरजीत
04. का0 अभिषेक सिंह
05. का0 निलेश यादव
06. का0 सत्येन्द्र प्रसाद
07. का0 विन्ध्यांचल यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 05.08.2026</u>

<u>थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा तारकोल ड्रम चोरी की घटना का सफल अनावरण, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 722/2026 धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस से संबंधित आरोपी अभियुक्त– 01. प्रदीप कुमार पुत्र संतलाल, निवासी कोईलारा मुबारकपुर, थाना कमरौली, जनपद अमेठी, 02.रामू पुत्र परिदीन, निवासी कोईलारा मुबारकपुर, थाना कमरौली, जनपद अमेठी, 03. सुशील सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी पूरे सिरोही मंगापुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को रामनगर तिराहे से आगे साहियापुर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप व उसपर लदे 13 अदद भरे तारकोल ड्रम व 04 अदद खाली तारकोल ड्रम बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

वादी अजीत सिंह पुत्र अमरेश सिंह द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 19. 07.2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत वीरपुर बिसेन, पूरे गुलाब पुरवा स्थित एक प्लॉट से अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि लगभग 02:00 से 03:00 बजे के बीच सड़क निर्माण हेतु रखे गए चारकोल के 17 ड्रम चोरी कर लिए गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 05.08.2026 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर चोरों–01. प्रदीप कुमार पुत्र संतलाल, निवासी कोईलारा मुबारकपुर, थाना कमरौली, जनपद अमेठी, 02.रामू पुत्र परिदीन, निवासी कोईलारा मुबारकपुर, थाना कमरौली, जनपद अमेठी, 03.सुशील सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी पूरे सिरोही मंगापुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ को रामनगर तिराहे से आगे साहियापुर के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिकअप व उसपर लदे 13 अदद भरे तारकोल ड्रम व 04 अदद खाली तारकोल ड्रम बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. प्रदीप कुमार पुत्र संतलाल, निवासी कोईलारा मुबारकपुर, थाना कमरौली, जनपद अमेठी।
02. रामू पुत्र परिदीन, निवासी कोईलारा मुबारकपुर, थाना कमरौली, जनपद अमेठी।
03. सुशील सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र बहादुर सिंह, निवासी पूरे सिरोही मंगापुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी</u>

01\. घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप बोलेरो मैक्स
02\. 13 अदद भरे हुए तारकोल ड्रम
02\. 04 अदद खाली तारकोल ड्रम
03\. अभियुक्तों की जामा तलाशी से कुल ₹2,000/– नगद

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 आनंद कुमार उपाध्याय
02. उ0नि0 वैभव सिंह
03. हे0का0 वीरेन्द्र यादव
04. का0 दीपक कुमार
05. का0 जागेश्वर गौड़
06. का0 अभिषेक वर्मा
07. का0 बृजेश पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 05.08.2026</u>

ऑपरेशन साइबर कवच के दृष्टिगत थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा पीडित की फ्रॉड गयी 2700/– रूपये कराए गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीडित के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ित ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के मार्गदर्शन में थाना को0 देहात की साइबर हेल्प डेस्क की टीम द्वारा पीड़ित की फ्रॉड गयी धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए 2700/– पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

आवेदिक मो0 अरबाज द्वारा थाना को0 देहात की साइबर हेल्प डेस्क में साइबर फ्रॉड गयी उनकी 2700/– रू0 की शिकायत दर्ज करायी गयी थी। जिसपर थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करते हुए पीड़ित के 2700/– रू0 की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ित द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए थाना को0 देहात की साइबर हेल्पडेस्क की टीम को धन्यवाद दिया गया।

नोट– साइबर धोखाधड़ी होने पर तत्काल 1930 पर सूचना अंकित कराये, सूचना विलम्ब से देने पर साइबर अपराधियों द्वारा धन निकाल लिया जाता है। धन निकलने के उपरान्त पैसे वापस होने की सम्भावना बहुत कम होती है। लोगो को साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराएँ।

<u>साइबर सुरक्षा टिप्स–</u>

01. ऑनलाइन लेन–देन में सावधानी बरतें
02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।
03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।
05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।
06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।
07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।
08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।
09. साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>